

राष्ट्रवाद पर गांधी जी के विचारों का अंवलोकन

कुमारी गुलशन

शोध छात्रा, राजनीतिविज्ञान विभाग

गिन्नी देवी महिला स्नानकोत्तर महाविद्यालय मोदीनगर, उत्तर प्रदेश, भारत

Email: arpitpuri586@gmail.com

सारांश

महात्मा गांधी जी वैचारिक व संघर्ष के स्तर पर न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक अनुकरणीय व्यक्ति हैं। राजनीतिक अवधारणाओं में राष्ट्रवाद राज्य के उत्पत्ति के समय से ही उत्पन्न अवधारणा है। यह राज्य के अस्तित्व के साथ – साथ उसके विकास उसकी सशक्त पहचान को इंगित करने वाली अवधारणा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय आन्दोलन व राष्ट्रवाद की अवधारणा को वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना के साथ आगे बढ़ाते हैं।

प्रस्तुत शोध पत्र में महात्मा गांधी के राष्ट्रवादी विचारों को एक लघुरूप देने का प्रयास किया गया है। विदेशी सत्ता को बाहर करने के लिए छोटी – छोटी स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादन को उन्होंने राष्ट्रवाद की अवधारणा से जोड़ दिया था। महात्मा गांधी जी के राष्ट्रवाद की ऐसी अनोखी अवधारणा है जो अपने आप में अलग पहचान रखती है और जिसमें दैनिक उपभोग की वस्तुओं को राष्ट्रवाद का प्रतीक बना दिया। इस शोधपत्र में उनकी राष्ट्रवाद की अवधारणा को इसी दृष्टि से समझने का प्रयास किया गया है।

प्रस्तावना

महात्मा गांधी एक अद्वितीय राष्ट्रीय व्यक्तित्व थे। एक वह भविष्यवक्ता एक धर्म सुधारक, एक समाज सुधारक और राष्ट्रवादी विचारक थे, जो भारतीय स्वतन्त्रता के लिए अतुलनीय संघर्ष किया। भारत के इस सन्त ने सत्य और अहिंसा के परम अस्त्र लेकर जीवन – पर्यन्त ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जड़ों पर प्रहार किया। गांधी जी के राष्ट्रवादी विचारों को जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है। कि राष्ट्रवाद क्या है ? राष्ट्र शब्द के उच्चारण मात्र से ही हमारे मस्तिष्क में हमारे राष्ट्र के प्रतीक चिन्ह जैसे – तिरंगा, कमल, भारत का नक्शा आदि प्रतिमान के रूप में उभरते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक राष्ट्र की पहचान होती है जो दूसरे राष्ट्र से उसे अलग करती है, जैसे – उसकी सीमा, भाषा, संस्कृति, विचार इत्यादि।

राष्ट्र की सर्वमान परिभाषा नहीं दी जा सकती। राष्ट्र बहुत हद तक एक ऐसा समुदाय होता है जो अपने सदस्यों के सामूहिक विश्वास भावनाओं, आकाक्षाओं और कल्पनाओं के सहारे एक सूत्र में बंधे होता है। और यह कुछ खास मान्यताओं पर आधारित होता है। जिन्हे लोग उस

समुदाय के लिए गढ़ते हैं जिससे वह अपनी पहचान कायम करते हैं। राष्ट्र के प्रति यही भावना राष्ट्रवाद कहलाती है। यह तो राष्ट्रवाद का सामान्य अर्थ हुआ अब हम इसका विशिष्ट अर्थ में राष्ट्रवाद को सभालेंगे –

‘राष्ट्रवाद का अर्थ’ –

‘राष्ट्र’ या ‘nation’ शब्द लैटिन भाषा के दंजपव शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है जन्म – समुदाय जो एक जाति से उत्पन्न हुआ भाववचक संज्ञा है, जिसका अर्थ है जन – समुदाय की समूह – चेतना। इसके अन्तर्गत कई तत्व शामिल हैं, यथा एक जन समूह का होना, उस जन – समूह के मध्य भौगोलिक एकता तथा समूह के सब व्यक्तियों में विचार – साम्य होना, तथा समूह के सब व्यक्तियों में विचार – साम्य होना। इस प्रकार की भावना से युक्त जन – समुदाय की समुदाय की सामूहिक चेतना राष्ट्रवाद कहलाती है। राष्ट्र के अन्तर्गत भी यह तत्व विद्यमान रहते हैं, परन्तु राष्ट्र तथा राष्ट्रवाद में मौलिक भेद यह है कि राष्ट्र के अन्दर जन – समूह में अपने पृथक् तथा स्वतन्त्र अस्तित्व की एक सुदृढ़ भावना निवर्तमान रहती है। यह भावना उसे राजनीतिक स्वरूप प्रदान करती है। अतएव राष्ट्र शब्द जन – समुदाय प्रदान करती है। अतएव राष्ट्र शब्द जन – समुदाय में राजनीतिक स्वतन्त्रता तथा सम्प्रभुता की घोषणा का प्रतीक है। जबकि राष्ट्रवाद अराजनीतिक चेतना है। एक जन समुदाय के साथ मध्य राष्ट्रवाद की भावना तब भी विद्यमान रहती है, जबकि वह राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करने की भावना भी न हो। परन्तु ज्यों ही किसी एक जन – समूह में राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेता है, त्यों ही उसे एक राष्ट्र की संज्ञा प्रदान की जाती है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय जनता में राष्ट्रीयता की भावना ने बलवती होकर जनता को राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया और स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत एक राष्ट्र कहलाने लगा। इंग्लैण्ड एक राष्ट्र है, जिसके अन्तर्गत अंग्रजी, स्कॉच, वेल्स तथा आइरिश राष्ट्रीयताएँ विद्यमान हैं। स्वतन्त्रता से पूर्व भारत के अन्तर्गत पाकिस्तान कोई राष्ट्र नहीं था। परन्तु भारतीय जनता के एक जन – समूह में पृथक् मुस्लिम राष्ट्रीयता की भावना विकसित हुई और उसने अपनी पृथक् राजनीतिक स्वतन्त्रता तथा अस्तित्व की माँग द्वारा पाकिस्तान के नाम से एक अलग राष्ट्र निर्मित कर लेने में सफलता प्राप्त कर ली। इस प्रकार राष्ट्र एक पृथक् राजनीतिक संगठन का द्योतक है परन्तु कभी – कभी एक राष्ट्र के अन्तर्गत अनेक राष्ट्रीयताएँ भी विद्यमान रह सकती हैं।

राष्ट्रवाद वह ऐतिहासिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा राष्ट्रीयताएँ राजनीतिक इकाईयों के रूप में परिवर्तित होता है। किसी जन – समूह का यह औचित्य पूर्व अधिकार है कि यदि वह एक पृथक् तथा सुदृढ़ राष्ट्र या राष्ट्रीयता निर्मित कर लेता है तो उसे संसार में अपने स्वतन्त्र अस्तित्व के लिए प्रदेश मिलना चाहिए। राष्ट्रवाद की ठीक – ठीक शब्दों में परिभाषा करना कठिन है। आधुनिक काल में राष्ट्रवाद ने एक धर्म का रूप ग्रहण कर लिया है। शिलिटो उसे मनुष्य का एक दूसरा धर्म’ कहता है। यह मनोविकार काय, भावना मूलक तथा प्रेरणात्मक है। इसका आधार राष्ट्रीयता की विकसित भावना है। यह वह आध्यात्मिक तथा मनोवैज्ञानिक मनः स्थिति है जिसका उद्देश्य किसी जन – समूह में संगठित तथा चैतनामूलक राष्ट्रत्व की पूर्ण प्राप्ति करना

होता है।

“अपने राष्ट्र के प्रति श्रद्धा एवं प्रेम प्रायः सभी लोगों में होता है। राष्ट्र की उन्नति तथा विकास के लिए नागरिक बलिदान एवं त्याग की भावना रखते हैं। तथा लोगों में आपस में एकता की भावना होती है। उन्हें अपने राष्ट्र पर गर्व होता है। राष्ट्र के प्रति इन्हीं भावनाओं को हम राष्ट्रवाद कहते हैं।

1857 में भारत की क्रांति एक अर्थ में राष्ट्रीय थी। कांग्रेस की स्थापना के बाद राष्ट्रवाद की भावना यहाँ जोर पकड़ती चली परिणाम स्वरूप 1947 में अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। राष्ट्रवाद की भावना वैसे तो कहीं भी पनप सकती है परन्तु निम्न लिखित तत्व राष्ट्रवाद की भावना के विकास में सहायक होते हैं : –

- (1). भौगोलिक एकता अर्थात् सभी नागरिक को एक ही देश में विकास करना
- (2). नस्ल या जाति की एकता
- (3). सामान्य परम्पराएं तथा इतिहास
- (4). सांस्कृतिक एकता
- (5). राजनैतिक उद्देश्यों की एकता, जैसे भारत में अंग्रेजों के शासन से सभी लोग असन्तुष्ट थे तथा उनसे मुक्ति प्राप्त करने एवं अपने शासन की स्थापना करना चाहते थे।

अगर हम राष्ट्रवाद के सहायक तत्वों का विस्तारपूर्वक अध्ययन करना चाहें तो अग्र लिखित प्रकार से कर सकते हैं –

1. भौगोलिक एकता –

राष्ट्रवाद के विकास में भौगोलिक एकता सदा से सहायक होती आयी है। जब कोई जन – समूह किसी निश्चित भूखण्ड पर साथ – साथ बसता है और उसके लोग उस भूखण्ड को अपनी मातृभूमि समझने लगते हैं तो उस जन – समूह के लोगों के हृदय में उस भौगोलिक एकता का प्रादुर्भाव हो जाता है, जो राष्ट्रवाद के विकास में सहायक सिद्ध होती है। जो लोग भौगोलिक दृष्टि से एक होते हैं वे, राष्ट्रीय एकता में स्वाभाविक बँध जाते हैं, जो राष्ट्रवाद का प्राण होती है।

2. नस्ल की एकता –

नस्ल सम्बन्धी एकता भी राष्ट्रवाद के विकास में सहायक होती है। प्रायः एक नस्ल के लोगों में एक ऐसे सामान्य राष्ट्र के प्रति लगाव होता है, जिसे वे अपना समझते हैं। उसके लिए वे मर मिटने को तैयार रहते हैं। सामाजिक विकास की प्रारम्भिक दशा में नस्ल की एकता का महत्व लोगों को एक राष्ट्रीयता के बन्धन में बाँधने की दृष्टि से पर्याप्त रहा है। पर इस सम्बन्ध में यह स्तरणीय है कि नस्ल की एकता की महत्ता लोगों को राष्ट्रीय बन्धन में बाँधने की दृष्टि से अब उतनी नहीं रह गई है। अब अनेक राष्ट्रों का विकास हो चुका है, जिनमें अनेक नस्ल के लोग सम्मिलित हैं। उदाहरण के लिए हम अमेरिकन राष्ट्र को ले सकते हैं, जो अनेक नस्लों के लोगों का सम्मिश्रण होते हुए भी एक सुसंगठित राष्ट्र के रूप में विकसित हो रहा है।

3. सामान्य ऐतिहासिक अतीत –

सामान्य अतीत भी राष्ट्रीयता की भावना व राष्ट्रवाद के विकास में सहायक होता है। अपने सामान्य पूर्वजों की कथा अतीत की सफलताएँ व असफलताएँ, इन सब का ज्ञान प्रत्येक राष्ट्र के वासियों में उस सहानुभूति की उत्पत्ति करते हैं, जिससे राष्ट्रवाद पनपता है। उदाहरणार्थ, सन् 1857 के स्वतन्त्रता संग्राम अथवा जलियाँवाला बाग के हत्याकाण्ड की स्मृति अब भी भारतवर्ष की विभिन्न राजनीतिक विचार धाराओं के लोगों को एक स्थान पर लाकर खड़ा कर देती है। और उनमें उस एकता की भावना का आविर्भाव कर देती है, जो राष्ट्रवाद का प्राण है।

4. सांस्कृतिक एकता –

सामान्य अतीत की ही तरह सामान्य संस्कृति भी राष्ट्रवाद के विकास में अत्यधिक सहायक सिद्ध होती है। सामान्य संस्कृति के लोग प्रायः राष्ट्रीयता के दृढ़ बन्धन में बँधे रहते हैं। सांस्कृतिक एकता से उनमें एक ऐसा राष्ट्रीय भाव उत्पन्न हो जाता है, जो सदा उन्हें एक सूत्र में बँधे रहता है और वे अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए एवं उसके विकास के लिए सदा चेष्टा करते रहते हैं। भाषा, धर्म, आर्थिक जीवन कला एवं साहित्य (जिन सबसे मिलकर किसी देश की संस्कृति बनती है) की एकता लोगों में उस सहानुभूति को बनाए रखती है जो राष्ट्रवाद के विकास के लिए अपरिहार्य है। इस प्रकार राष्ट्रवाद के विकास में सांस्कृतिक एकता विशेष महत्त्व रखती है।

5. राजनीतिक एकता –

उपर्युक्त तत्वों के अलावा राजनीतिक एकता भी राष्ट्रवाद के विकास में सहायक है। राजनीतिक रूप से छिन्न – भिन्न वाले लोग साम्प्रदायिकता के पथ पर चल सकते हैं, राष्ट्रवाद के पथ पर नहीं। भारत की आन्तरिक राजनैतिक कलह ने उसे किस प्रकार पराधीन बनाया और उसकी राजनीतिक एकता ने उसे किस प्रकार राष्ट्रवाद के पथ पर अग्रसर किया, यह हम सभी जानते हैं। हिटलर के तत्वाधान में उत्पन्न राजनीतिक एकता के अन्तर्गत जर्मनी में अथवा मुसोलिनी के अधिनायकतन्त्र के अन्तर्गत उत्पन्न राजनीतिक एकता में किस प्रकार इटली में उग्र राष्ट्रवाद पनपा, यह हम सभी जानते हैं। मोटें रूप से ये तत्व हैं जो राष्ट्रवाद के विकास के लिए उत्तरदायी हैं, पर इससे यह तात्पर्य नहीं है कि केवल इन्हीं तत्वों के द्वारा राष्ट्रवाद का आविर्भाव हुआ हो अथवा उसे प्रोत्साहन मिला हो। वस्तुतः भिन्न – भिन्न परिस्थितियों तथा भिन्न – भिन्न काल व देशों में योग दिया है। भौगोलिक एकता, नस्ल की एकता, ऐतिहासिक एकता, सांस्कृतिक एकता, धार्मिक एकता, राजनीतिक एकता, विजय पराजय, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, षोषण व उसका विरोध इन सबको राष्ट्रवाद की प्रगति का श्रेय है।

राष्ट्रवाद पर गाँधी जी के विचार –

गाँधी जी के राष्ट्रवाद की नींव भौतिक आकांक्षाओं पर आश्रित न होकर जीवन की श्रेष्ठता और आध्यात्मिक सिद्धान्तों पर आधारित थी। उन्होंने राष्ट्रवाद को हमारे सामने अत्यन्त थी शुद्ध रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा जहाँ भारत राष्ट्र है, वहाँ वह विश्व का एक महत्वपूर्ण अंग भी है। गाँधी जी का राष्ट्रवाद उनके विश्व प्रेम का ही एक रूप था। उनका कहना था कि 'मेरा

लक्ष्य विश्व मैत्री है। हम विश्व भ्रातृत्व के लिए जीना मरना चाहते हैं। गाँधी जी सच्चे राष्ट्रवादी ही नहीं अन्तर्राष्ट्रवादी भी हैं। उनके आन्दोलनों के पीछे त्याग की भावना है कि मानव को अपने राष्ट्र से आगे जाकर सम्पूर्ण मानव जाति से प्यार करना चाहिए। उन्होंने कहा “ राष्ट्रवाद बुराई नहीं है, यह तो संकीर्णता स्वार्थ तथा पृथकता वादिता का आधुनिक राष्ट्रों का विषय है जो बुराई है।

गांधी जी के चिन्तन की महानता ये है कि उन्होंने भारत की स्वतन्त्रता के मामले को सम्पूर्ण मानव जाति के मुक्ति के साथ जोड़ना चाहा। गांधी जी ने कहा था कि “मैं अपने देश की स्वतन्त्रता चाहता हूँ ताकि मेरे देश के संसाधनों का प्रयोग मानव जाति के लाभ के लिए किया जा सकें जिस प्रकार आज देश भक्ति का पंथ हमें यह शिक्षा देता है कि व्यक्ति को परिवार के लिए परिवार को गाँव, गाँव को जिले, जिले को प्रान्त को तथा प्रान्त को देश के लिए बलिदान देना चाहिए वैसे ही इस देश को स्वतन्त्र होना है ताकि यदि आवश्यक हो तो यह विश्व के लिए अपने प्राण दे सकें।

गांधी जी के शब्दों में विशुद्ध राष्ट्रीयता अन्तर्राष्ट्रीयता की विरोधी नहीं हो सकती, बल्कि उसके विकास में सहायक है। क्योंकि एक व्यक्ति के राष्ट्रवादी हुए बिना अन्तर्राष्ट्रवादी होना असम्भव है। गांधी जी का आदेश ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ था। उन्होंने 1929 में ‘यंग इण्डिया’ में लिखा था मैं भारतवर्ष का उत्थान दूसरे राष्ट्र के विनाश पर नहीं चाहता। गांधी जी ऐसा विश्व चाहते थे जहाँ वास्तविक शान्ति तथा सहयोग विद्यमान हो अहिंसा के सिद्धान्त पर आधारित एक विश्व संगठन होना चाहिए जिसमें अहिंसा की नीति में विश्वास रखने वाले सभी राज्य के प्रतिनिधि सम्मिलित होने चाहिए। विश्व राष्ट्रों मध्य होने वाले संघर्ष को रोकने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय अहिंसक पुलिस बल भी होना चाहिए। यह अहिंसात्मक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन विश्व के सभी लोगों के समानता और स्वतन्त्रता के सिद्धान्त को मान्यता देगा और इसी कारण यह साम्राज्यवाद जातिवाद युद्ध तथा अन्य बुराईयों की समाप्ति के लिए कार्य करेगा और आज सुखद अन्तर्राष्ट्रीय जीवन के मार्ग में बाधाएं प्रस्तुत करती है। “यद्यपि गांधी जी मानवतावादी विचारक थे और उनका दृष्टिकोण “वसुधैव कुटुम्बकम्” का था, किन्तु इसके साथ ही वे राष्ट्र और राष्ट्रवाद के समर्थक थे। उनका कथन था कि मानव जाति के विकास में सार्वजनिक जीवन के अनेक स्तर देखने को मिलते हैं; जैसे परिवार, जाति, गाँव, प्रदेश और राष्ट्र। इन सबको पार करने के बाद ही विश्वबन्धुत्व के अन्तिम आदर्श को प्राप्त किया जा सकता है। अतः व्यक्ति का सामाजिक कर्तव्य परिवार में आरम्भ होता है और मानवता की सेवा एक पहुंचता है। पहले की सामाजिक इकाइयों के प्रति अपने कर्तव्य का पालन न कर मानवता की सेवा की बात करना अपने उत्तरदायित्व से विमुख होना है। गांधी जी का कथन था कि प्रत्येक व्यक्ति के अपने देश के प्रति कुछ विशेष कर्तव्य होते हैं, जिन्हें उसके द्वारा आवश्यक रूप से पूरा किया जाना चाहिए। गांधी जी के इन विचारों और उनके द्वारा भारतीय स्वाधीनता संग्राम का नेतृत्व किए जाने के कारण उन्हें एक महान राष्ट्रवादी कहा जा सकता है। लेकिन गांधी जी संकीर्ण या उग्र राष्ट्रवाद के उपासक नहीं थे, वे तो एक रचात्मक और मानवतावादी राष्ट्रीयता के उपासक थे, जिसके आध

पार पर ही अन्तर्राष्ट्रवाद के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। गांधी जी राष्ट्रवाद को अन्तर्राष्ट्रवाद के मार्ग की एक बाधा नहीं समझते थे और उनका विचार था कि अन्तर्राष्ट्रवाद और विश्वबन्धुत्व के लिए राष्ट्रीयता आधार का कार्य करती है। स्वयं उन्हीं के शब्दों में, “मेरे विचार में बिना राष्ट्रवादी हुए अन्तर्राष्ट्रवादी होना असम्भव है। अन्तर्राष्ट्रवाद तभी सम्भव हो सकता है, जबकि राष्ट्रवाद एक यथार्थ बन जाय।”

भारत के स्वाधीनता संग्राम के नेतृत्व में भी राष्ट्रीयता और अन्तर्राष्ट्रीयता की यह अन्वोन्याश्रिता ही महात्मा गांधी का मार्गदर्शक रही। उन्होंने राष्ट्रीयता को कभी भी संकीर्ण स्वार्थी और एकाकी अर्थों में ग्रहण नहीं किया और भारत में राष्ट्रीय संघर्ष में उन्होंने मानवता के व्यापक हितों की अवहेलना कभी नहीं की। उन्होंने ‘यग इण्डिया’ के 4 अप्रैल 1929 के अंक में लिखा था कि “मैं भारतवर्ष का उत्थान इसलिए चाहता हूँ कि जिससे सम्पूर्ण विश्व का हित हो सके। मैं भारतवर्ष का उत्थान दूसरे राष्ट्र के विनाश पर नहीं चाहता। मैं उस राष्ट्रभक्ति की निन्दा करता हूँ जो हमें दूसरे राष्ट्रों के शोषण तथा मुसीबतों से लाभ उठाने के लिए उत्साहित करती है।”

इसके अतिरिक्त गांधी जी स्वावलम्बी और स्वाधीन इकाइयों के समर्थक होते हुए भी अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आत्म निर्भरता परम आवश्यक मानते थे और चाहते थे कि विश्व के राष्ट्र आत्मनिर्भरता की आत्माघातक नीति को छोड़कर आत्मनिर्भर रहते हुए विश्व संघ की स्थापना करें। गांधी जी की कल्पना का विश्व अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति, सहयोग और मित्रता का विश्व था। इस प्रकार गांधी जी राष्ट्रवादी और अन्तर्राष्ट्रवादी दोनों थे।

अतः गांधी जी का राष्ट्रवाद संकीर्ण न होकर व्यापक है, वे अपने राष्ट्र का विकास चाहते हैं लेकिन किसी दूसरे राष्ट्र को नुकसान पहुँचाकर नहीं, वे अपने राष्ट्र को भी इसलिए स्वतन्त्र कराना चाहते थे ताकि इसके संसाधनों का प्रयोग विश्व – कल्याण के लिए हो सके। गांधी जी अपने राष्ट्र के विकास के साथ सम्पूर्ण मानव जाति का कल्याण चाहते थे। महात्मा गांधी द्वारा आने देश को आजाद कराने के लिए कई प्रकार के अन्दोलन चलाए तथा अपने देश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह गांधी जी के व्यक्तित्व की महानता ही है कि उनके जन्म की तिथि 2 अक्टूबर को विश्व शान्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है।

अतः गांधी जी राष्ट्रवादी होने के साथ – साथ अन्तर्राष्ट्रवादी भी है, जो ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ की भावना रखते हैं। अपने राष्ट्र का विकास दूसरे राष्ट्र के विनाश पर नहीं चाहते थे।

सन्दर्भ

1. वाजपेयी, बी. एन, आधुनिक राजनीतिक विचारधारयें, प्रकाश बुक डिपो बड़ा बाजार बरेली
2. त्यागी, रामकिशोर, भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन, ब्लू स्टार, नई दिल्ली
3. सिंह, सुरेश चन्द्र, भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन एवं भारतीय गणतन्त्र का संविधान, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा

4. तिवारी, गंगादत्त, आधुनिक राजनीतिक विचारधारणें, मीनाक्षी प्रकाशन, नई दिल्ली
5. जैन पुखराज, भारतीय राजनीतिक विचारक, साहित्य भवन पब्लिकेशन, राजनीतिशास्त्र के सिद्धान्त, नेशनल पब्लिकेशन्स, 2000 आगरा
6. श्रीवास्तव, प्रभातचन्द्र, राजनीतिशास्त्र के सिद्धान्त, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, 1978, नई दिल्ली
7. जौहरी, जगदीशचन्द्र, आधुनिक राजनीति विज्ञान के सिद्धान्त, स्टर्लिंग पब्लिशर्स प्रा० लि०,
8. अग्रवाल. आर. सी. भारतीय संविधान का विकास तथा राष्ट्रीय आन्दोलन एस, चन्द एण्ड कम्पनी लि०
9. जैन, पुखराज, प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक एवं भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन और भारतीय गणतन्त्र का संविधान, साहित्य भवन पब्लिकेशन, 2002, आगरा
10. अवस्थी, आनन्द प्रकाश, भारतीय राजनीतिक विचारक, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा
11. चतुर्वेदी, दिनेशचन्द्र, भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन, मीनाक्षी प्रकाशन, नई दिल्ली
12. ताराचन्द, भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास, सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार
13. वर्मा वी.पी. आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिन्तन, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा
14. कुरुक्षेत्र, अक्टूबर 2017, नई दिल्ली